

न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:-श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:-869/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
तेजनाथ सिद्ध पुत्र श्री मोडनाथ सिद्ध जाति सिद्ध निवासी रामपुरा भाटियान तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।		श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थी की ओर से :- अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :- सरकारी पैरोकार।

--::निर्णय::--

दिनांक:- 15/01/2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:- प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 298/6 रकबा 29 बीघा ग्राम सिन्धियों की ढाणी पटवार क्षेत्र रामपुरा भाटियान, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम तेजाराम पि. मोडाराम जाति जाट दर्ज हैं लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम तेजनाथ सिद्ध पि. मोडनाथ सिद्ध हैं तथा प्रार्थी की जाति सिद्ध है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा तेजाराम पि. मोडाराम जाति जाट दर्ज कर दिया जो गलत हैं। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि में तेजनाथ सिद्ध पि. मोडनाथ सिद्ध नाम दर्ज हैं उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने केसीसी लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से



वहायद डविसड. वीकिड


निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 298/1 रकबा 29 बीघा ग्राम सिन्धियों की ढाणी, पटवार क्षेत्र रामपुरा भाटियान, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में प्रार्थी का तेजाराम पि. मोडाराम जाति जाट के स्थान पर तेजनाथ सिद्ध पि. मोडनाथ सिद्ध जाति सिद्ध दर्ज किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें भी प्रार्थी का सही नाम तेजनाथ पि. मोडनाथ बताया है तथा राजस्व रेकॉर्ड में नाम तेजाराम पि. मोडाराम के स्थान पर तेजनाथ पि. मोडनाथ दर्ज किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकॉर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 298/6 रकबा 29 बीघा ग्राम सिन्धियों की ढाणी पटवार हल्का रामपुरा भाटियान तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम तेजाराम पि. मोडाराम के स्थान पर सही नाम तेजनाथ पि. मोडनाथ दर्ज कर राजस्व रेकॉर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 15/11/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी, ओसियां